अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2022/225 बिरदीचन्द V/s ऋचिका वगै

तारीख पेशी	2022/287 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री बलराज चौधरी श्री त्रिलोकसिंह सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
1/11/22	बिरदी चन्द बनाम ऋचिका वगैरह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 (केवियटकर्ता) को दिनांक 31.10.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 व भूरा की संयुक्त कब्जे काश्त संयुक्त क्रयशुदा आराजीयात है और सद्भावी क्रेतागण काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उपयोग करते है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट जो सद्भावी क्रेतागण है कि क्रय शुदा भूमि के सम्बन्ध में एक तरफा स्थगन आदेश जारी कर अपीलांट को उसके वैधाकिन अधिकारो से रोकने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण नम्बर 1 से 03 का विवादित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है न उनका कोई अधिकार है अपितु उक्त.खसरा नम्बर की भूमि जिसके पूर्व नम्बर 271 थे एवं वर्तमान खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 एवं उनके उनके भाई हनुमान की खरीद शुदा है काबिज है मौके पर अपीलांटस की बोई फसल मौजूद है ऐसी स्थिति में प्राईमा फेसी केस व बेलेन्स ऑफ कनविनियन्स अपीलांट के हक में है रेस्पोडेन्ट के हक में कोई प्राईमा फेसी केस नही हैं ऐसी स्थिति में स्थगन जारी हरने से अपीलांट को रेस्पोडेन्ट/वादीगण संख्या 01से 03 बेदखल करने व जबरन कब्जा करने व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 2 अपीलांटस की बोई फसल काटने में व्यवधान करेगे जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी व मुकदमें बाजी बढ़ेगी। अपीलांट वितादित भूमि के कब्जेकाश्त व खातदेार की खरीदशुदा आराजी है व क्रय दिनांक 25.05.2005 से काबिज चले आ रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू अपीलांटस के हक में वखूबी साबित है। उक्त भूमि हनुमान द्वारा अपीलांटस को रहन का तथ्य छिपाकर विक्रय करने के कारण नामान्तकरण नही खुला जिसकी आड़ में हनुमान ने अपने पुत्र शंकरलाल से वाद दायर कराकर दुरभिसंधी से वाद डिक्री कराकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 के नाम रेकार्ड में अंकन कराकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के यहाँ वाद स्थायी निषेधाज्ञा का दायर कर एक तरफा में दिनांक 08.07.2022 को स्थगन प्राप्त कर लिया। अपीलांटस की बोई फसल नही काटने देते। अपीलांट की बोई फसल नहीं काटने देने से उक्त एक तरफा स्थगन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.09.2022 को हुई जिस पर दिनांक 16.09.2022 को नकल का आवेदन कर दिया दिनांक 19.09.2022 को नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी हुई।इसके पूर्व कोई जानकारी नही थी। अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। आदेश अधीनस्थ न्यायालय कान्ट्रेरी एण्ड आर्बीट्रेरी टू लॉ होने के कारण एवं इलीगल एण्ड अगेनस्ट प्रिन्सिपल ऑफ इक्विटी एण्ड जस्टिस होने के कारण निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 73/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 की क्रियान्विति स्थगित फरमाये जाकर वादीगण/रेस्पोडेन्ट सख्या 01से 03 को पाबंद फरमाया जावें कि विवादग्रस्त आराजी में अपीलांटस के कब्जेकाश्त/उपयोग, उपभोग व फसल काटने आदि में व्यवधान पैदा न करें व अन्य से करावें।	

[signature] मनोज माहेश्वरी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2022/अपील बिरदीचन्द V/S त्रिलोकसिंह

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2022/287 श्री बलराज चौधरी श्री त्रिलोकसिंह - 3	

लगातार

अभिभाषक केवियटकर्ता (रेसपोडेन्ट संख्या 3)ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 368 के खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0वाकै ग्राम धमाणा तहसील मौजमाबाद में स्थित है।जिसके साबिक नम्बर 271 रहे जिसमें वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है अर्थात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 प्रत्येक 1/6-1/6 हिस्से पर काबिज काश्त चल आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात पक्षकार की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात रही है जो पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के दादा रामसुख की आराजीयात रही है जिसका बरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 से 5 के दादा रामसुख के नाम से पर्चा जारी हुआ था जो प्रस्तुत दस्तावेजात से बखूबी साबित है। इस प्रकार विवादित आराजीयात जो कि पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का प्रत्येक का 1/6-1/6 हिस्सा है इसी अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 05 काबिज काश्त चले आ रहे है तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज होने से अन्यत्र बेचान करने की धमकी दी है, इसलिए शंकर लाल को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में विवादित आराजी के मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश दिनांक 08.07.2022 को पारित किय है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट को यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2022 से आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर चाराजोही करें। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे तौर यह अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की है जो विधि सम्मत नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 विधि सम्मत है। अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर दिनांक 08.07.2022 को विवादित आराजी बाबत् मौके की यथास्थिति बनायी रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करने के आदेश पारित किये है। अपीलांट ने उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा ना ही उपस्थित होकर उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश बाबत् कोई चाराजोही की है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 अन्तरिम स्थगन आदेश है जिसका अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। पक्षकारान के समय एवं व्ययता को ध्यान में रखते हुए अपील का इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 30 दिवस में निस्तारण करें।

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

287/2022/225 RTAct बिरदीचन्द v/s राधाचिका

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/287 श्री बलराज चौधरी श्री त्रिलोकेश सिंह-3	
लगातार	अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का 30 दिवस(सप्ताह भर की चार तारीख पेशी दी जाकर) में निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभय पक्षकारान को दिनांक 18.11.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता हैं। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	